

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,  
उप सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,  
सहकारिता, उ०प्र०,  
लखनऊ

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2016.

विषय : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋण एवं ब्याज की धनराशि  
दिनांक 05-01-2017 तक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-312/लेखा-अ, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु दिये गये ऋणों के भुगतान हेतु ब्याज के मद में रू० 13,06,06,677.00 (रूपये तेरह करोड़ छः लाख छः हजार छः सौ सतहत्तर मात्र) एवं मूलधन के मद में रू० 08,30,98,400.00 (रूपये आठ करोड़ तीस लाख अट्ठानवे हजार चार सौ मात्र) अर्थात् कुल रू० 21,37,05,077.00/- (रूपये इक्कीस करोड़ सैतीस लाख पाँच हजार सतहत्तर मात्र) की धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा :-

लेखाशीर्षक

धनराशि (रूपये में)

ब्याज

- 2049- ब्याज अदायगियों-आयोजनेत्तर  
01- आन्तरिक ऋणों पर ब्याज  
200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज  
03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज  
32- ब्याज/लाभांश

मतदेय

भारित

रू० 13,06,06,677.00

योग- 2049

रू० 13,06,06,677.00

मूलधन

- 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-आयोजनेत्तर  
108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज  
03- लिए गए ऋण का प्रतिदान

30- निवेश/ऋण

मतदेय

भारित रू0 8,30,98,400.00

योग- 6003

रू0 8,30,98,400.00

कुल धनराशि

रू0 21,37,05,077.00

(रूपये इक्कीस करोड़ सैतीस लाख अठ्ठानवे हजार चार चौदह मात्र)

3- उपर्युक्त धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है उपर्युक्त धनराशि का आहरण कर उसका भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पक्ष में अलग-अलग धनराशि के बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, बनवाकर दिनांक 5-1-2017 तक या इसके पूर्व वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016 को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही विगत में प्राप्त तथा भविष्य में भी एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि के लेखा-जोखा के रख-रखाव का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-185-3/दस-2016 दिनांक : 21 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-1880(1)/49-3-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उप महालेखाकार (राजकोष एवं वी0एल0सी0), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी,)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- उप महालेखाकार (राजकोष), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- उप निदेशक (लेखा) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4, सीरी, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016 को उनके पत्रांक-सं0रा0 स0विानि0:A&C/14{1}1/Rep/13/6207, दिनांक 13-10-2016 के सन्दर्भ में।
- 5- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय को उनके पत्रांक रा0सह0वि0नि0/9-16/2014/एल0के0ओ0/694, दि0 20-10-2016 के सन्दर्भ में
- ✓ 6- वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियाँ उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2.
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

*2016*

( राकेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।